विजयराज/ओमप्रकाश मु.नं.-- 10/2022

RCMS. 2022/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
05/4/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है/ भ्रमण पर है/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 26/4/23 को पेश हो। रीडर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)
26.4/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है/ भ्रमण पर है/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 19/07/23 को पेश हो। रीडर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)
19/07/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। तहसीलदार रायपुर से अन्तिम डिक्री की पालना प्राप्त हुई है जो संलग्न पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते बहस [illegible] दिनांक 08/08/2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)
08/08/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बहस समाअत की गई। बहस एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् नरदा मौजा खीवल के खसरा नम्बर 2605, 2605/1, 2538, 2539, 2560, 2587

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली) राजस्व मुकदमा संख्या .... हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25 मई, 2012 के तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवारा प्रस्ताव अनुसार कलम डिक्री जारी करने के कारण किये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर पत्रावली सैलान हो। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। [signature] सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)	

न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 10/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 28.01..2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/24

वादी
विजयराज पुत्र श्री हरनाथ, उम्र—वयस्क, जाति रेगर निवासी रायपुर तहसील— रायपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1 ओमप्रकाश पुत्र श्री पुना, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल,
2. गेरीदेवी पुत्री श्री गुमना, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल,
3. पानीदेवी पत्नि श्री पुना, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल,
4. बाबुलाल पुत्र श्री पुना, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल,
5. बिदामीदेवी पुत्री श्री गुमना, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल,
6. माणकचन्द पुत्र श्री रामपाल, उम्र—वयस्क, जाति बावरी,
7. रमेश पुत्र श्री पुना, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल
8. रमेश पुत्र श्री केसाराम, उम्र—वयस्क, जाति बावरी,
9. रामा पुत्र श्रीं हेमा, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल,
10. विमला पुत्र श्री पुना, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल,
11. संतोष पुत्री श्री पुना, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल,
12. हरीराम पुत्र श्री पुना, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल,
13. उदा पुत्र श्री हेमा, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल, निवासीगण—रायपुर तहसील रायपुर
14. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर

दावा बांबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 "92 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवन्तसिंह सांखला अधिवक्ता वादी
2 श्री प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 08.08.2023

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53ए, 92 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा खींवल, पटवार हल्का रायपुर द्वितिय, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर की जमाबन्दी सवत् 2074—2077 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता सं. 235 के खसरा सं. 2605 रकबा 0.4532 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, खाता सं. 159 के खसरा सं. 2558 रकबा 0.4775 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 2559 रक्बा 0.2914 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 2560 रकबा 0.6880 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 2587 रकबा 0.3237 हैक्टैयर किस्म बारानी अव्वल, खसरां सं. 2597/1 रकबा 0.6637 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 2692 रकबा 0.5423 हैक्टैयर किस्म बारानी अव्वल मे वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खरीदशुदा भुमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2074—2077 की प्रमाणित प्रति, नक़्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त वाद पत्र में वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात मे से वादी का 56/423 वा हिस्सा बनता है उस हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार रेकर्ड दर्ज है। जो वादी ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 13 तक का हिस्सा दर्ज रेकर्ड

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

है। वादी खरीद दिंनाक से खसरा सं. 2605 पर आज दिंनाक तक कब्जा काश्त कर रहे है एवं मौके पर वादी
का कब्जा कर काश्त कर रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण की सम्पुर्ण भुमि दो खाते मे शामलाती दर्ज है व
नक्शा में भी विवादित खसरा की भुमि की एकं जोत दर्शाई गयी है। मोके के कब्जे व काश्त के आधार पर
अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। विवादित भुमि राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन
नही होने के कारण उसका फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 से 13 की वादी की भुमि पर कब्जा करने कि
नियत रखते है। प्रतिवादी द्वारा वादी के कब्जे को हटा कर अपना कब्जा करने की नियत रखते है। वादी एवं
प्रतिवादी के बीच कब्जे को लेकर एवं माठ को लेकर आए–दिन झगडा–फसाद होते रहते हैं। इसलिये वादी
एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 13 के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। वर्तमान मे खसरा नं. 2605
भुमि पर वादी का बिना किसी रोक टोक के कब्जा चला आ रहा है शेष खसरों मे प्रतिवादी गण का बनने वाले
हिस्से अनुसार कब्जा काश्त कर रहे है। वादी के कब्जे की भुमि को प्रतिवादी से बचाने के लिए उक्त वादपत्र
पेश किया जा रहा है। वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 से निवेदन किया कि वादपत्र के पेरा नंबर
1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी मे वादी के हिस्से पर कब्जा नही करे एवं विवादित भुमि को अपने–अपने हिस्से
अनुसार बॅटवारा करवा लेवें, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 13 ने वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर उक्त
आराज़ी भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा रहते है। वादी के बार–बार बॅटवारा करने की बात कहने
पर वादी के साथ गाली–गलौच करते हुए मारपीट करने पर अक्सर उतारू होते हैं। एवं बॅटवारा नही करना
चाहते है। जिस कारण वादी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से
13 से विवाद होने पर बार बार अपने कब्जे अनुसार बटवाडा करने का निवेदन किया एवं वादी की भुमि मे
दखलअदांजी नही करने का निवेदन किया जो प्रतिवादीगण ने बार बार मना कर दिया। वादी ने पुनः निवेदन
कर प्रार्थना की कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बॅटवारा मौके पर कब्जे अनुसार तकास्मा
करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से एवं कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेश मे तरमीम
रखने का तकास्मा करवाने का कहा–मगर प्रतिवादीगण की नियत सहीं नहीं होने से उन्होंने बन्टवाडा करवाने
से दिंनाक 13.12.2021 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं
है वादी अपने कब्जे अनुसार नजरी नक्शे अनुसार विवादित भुमि का तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए
दावा बटवाडा तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं। वाद तकास्मा आराजी
वादी अपनी खातेंदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भुमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार
के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भुमि में किसी
प्रकार की दंखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया
गया तो वादी को अपुर्णीय क्षति होगी प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार दिवानी फौजदारी
मुकदमें करने पडेंगें, जिससे मल्टी प्लीसिटी आफॅ प्रोसिडिंग्स होगी, इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जे
के अनुसार तकास्मा कर नक्शा तरमीम करवा कर खातेदारी अलग–अलग अपने–अपने हिस्से अनुसार करवाने
के लिये बटॅवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवादीगण 1 से 13 को उपरोक्त
वादपत्र के पैरा. सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया
गया है। एवं प्रतिवादी सं. 14 राजस्थान सरकार जरिये भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं
जिनको किं वाद दायरी से 2 माह पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता
है। लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार
करने तक वादी के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादी की
आराजियात से बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का
वाद पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। डिक्री तकास्मा वादी बहक प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

के खिलाफ इस आशय से जारी कि जावे कि सरहद मौजा खींवल, पटवार हल्का रायपुर द्वितिय, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की जमाबन्दी सवत् 2074–2077 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता सं. 235 खसरा सं. 2605 रक्बा 0.4532 हैक्टैयर किस्म बारामी दोयम, खाता सं. 159 खसरा सं. 2558 रक्बा 0.4775 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 2559 रक्बा 0.2914 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 2560 रक्बा 0.6880 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 2587 रक्बा 0.3237 हैक्टैयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2597/1 रक्बा 0.6637 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 2692 रक्बा 0.5423 हैक्टैयर किस्म बारानी अव्वल, मे वादी की खरीद शुदा भुमि आई हुई है। उपरौक्त विवादित भुमि मौके पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बटी हुई है। मौके पर खसरा सं. 2605 पुर वादी का कब्जा काश्त है तथा खसरा सं. 2558, 2559, 2560, 2587, 2597/1, 2692 मे प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा काश्त है। परन्तु विवादित भुमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड मे बटी हुई नही होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है इसलिये वादी के हिस्से अनुसार भूमि की नेखमबन्दी व पत्थर गढढी करवायी जावे, व मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादी को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खंसरे मे बटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे मे अलग दर्शाई जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा लगान बांटा जावे व नजरी नक्शे के तकास्मा आराजी की डिक्रि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के सांदिर फरमावे ।

अतः वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये अखबार छाया की गई। प्रतिवादीगण की तामिली होने के पश्चात् भी पर्याप्त अवसर देने के बावजूदद भी प्रतिवादीगण अनुपस्थित हैं। प्रतिवादीगण, अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित होने से, इनके विरूद्ध एकपक्षीयं कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर पर बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा किया जावें। बहस एकपक्षीय समायत की गई। वकील वादी बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा करने हेतु सहमत हैं। उक्त वादपत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करने के आदेश दिये गये हैं।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुरं को अधिकृत किया गया था, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र कमांक राजस्व/2023/25 दिनांक 20.1.2023 के द्वारा प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जो निम्न हैं

सरहद मौजा खींवल पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर का बंटवाड़ा प्रस्ताव

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म
1	विजयराज पुत्र हरनाथ हिस्सा 3777/29866 जाति रेगर सा. रायपुर खातेदार	2605	0.3777	बा.दो.
2	रेखा पत्नि दिलीपकुमार हिस्सा 755/29866 जाति रेगर सा. देह खातेदार	2605/1	0.0755	बा. दो.
3	1. ओमप्रकाश पुत्र पुना हिस्सा -768/29866 जाति - रायपुर खातेदार .मेघवाल मा 2. गेरीदेवी पुत्री गुमना हिस्सा 6489/29866 जाति मेघवाल सादेह खातेदार . 3. पानीदेवी पनि पुना हिस्सा -768/29866 जाति - मेघवाल सारायपुर खातेदार .	2558 2559 2560 2587 2597/1 2692	0.47775 0.2914 0.6880 0.3237 0.6637 0.5423	बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.अ. बा.दो. बा.अ.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

	4. बाबुलाल पुत्र पुना हिस्सा 768/29866 जाति - मेघवाल सारायपुर खातेदार . 5. माणकचंद पुत्र रामपाल हिस्सा -768/29866 जाति - बावरी सारायपुर खातेदार . 6. रमेश पुत्र केसाराम हिस्सा 768/28866 जाति - बावरी सारायपुर खातेदार . 7. रमेश पुत्र पुना हिस्सा 768/29866 जातिमेघवाल - सारायपुर खातेदार . 8.रामा पुत्र हेमा हिस्सा 5733/29866 जातिमेघवाल - सारायपुर खातेदार . राहिनं हिस्सा 5733/29866 (पूर्ण खातास्टेट बैंक ऑफ (बीकाने एंड जयपुर. 9. विजयराज पुत्र हरनाथ हिस्सा -778/29866 जाति - .रेगर सा रायपुर खातेदार 10. विमला पुत्री पुना हिस्सा 768/29866 जाति - मेघवाल सा रायपुर खातेदार 11. संतोष पुत्री पुना हिस्सा 768/29866 जाति - मेघवाल सा.रायपुर खातेदार 12हरीराम पुत्र पुना हिस्सा- 768/29866 जाति- मेघवाल सा..रायपुर खातेदार, 13. बिदामीदेवी पुत्री गुमना हिस्सा -4977/29866 जाति- मेघवाल सारायपुर खातेदार . 14. उदा पुत्र हेमा हिस्सा - 4977/29866 जाति मेघवाल सा -रायपुर खातेदार			

प्राथमिक डिक्री की पालना अनुसार बंटवाडा करने हेतु एवं अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु उपस्थित वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें। वकील वादी ने बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वकील वादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादी की सहमति के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव एवं नजरी नक़्शा अनुसार बंटवाडा करने के आदेश एवं अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद् मौजा खींवल पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :-

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म
1	विजयराज पुत्र हरनाथ हिस्सा 3777 / 29866 जाति रेगर सा. रायपुर खातेदार	2605	0.3777	बा.दो.
2	रेखा पत्नि दिलीपकुमार हिस्सा 755 / 29866 जाति रेगर सा. देह खातेदार	2605 / 1	0.0755	बा. दो.
3	1. ओमप्रकाश पुत्र पुना हिस्सा -768/29866 जाति - रायपुर खातेदार .मेघवाल मा 2. गेरीदेवी पुत्री गुमना हिस्सा 6489/29866 जाति मेघवाल सादेह खातेदार . 3. पानीदेवी पनि पुना हिस्सा -768/29866 जाति -	2558 2559 2560 2587 2597 / 1	0.47775 0.2914 0.6880 0.3237 0.6637	बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.अ. बा.दो.

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

	मेघवाल सारायपुर खातेदार . 4. बाबुलाल पुत्र पुना हिस्सा 768/29866 जाति - मेघवॉल सारायपुर खातेदार . 5. माणकचंद पुत्र रामपाल हिस्सा -768/29866 जाति - बावरी सारायपुर खातेदार . 6. रमेश पुत्र केसाराम हिस्सा 768/28866 जाति - बावरी सारायपुर खातेदार . 7. रमेश पुत्र पुना हिस्सा 768/29866 जातिमेघ -वांल सारायपुर खातेदार . 8.रामा पुत्र हेमा हिस्सा 5733/29866 जातिमेघवाल - सारायपुर खातेदार . राहिन हिस्सा 5733/29866 (पूर्ण खातास्टेट बैंक ऑफ (बीकाने एंड जयपुर. 9. विजयराज पुत्र हरनाथ हिस्सा -778/29866 जाति - .रेगर सां रायपुर खातेदार 10. विमला पुत्री पुना हिस्सा 768/29866 जाति - मेघवाल सा रायपुर खातेदार 11. संतोष पुत्री पुना हिस्सा 768/29866 जाति - मेघवाल सा रायपुर खातेदार 12हरीराम पुत्र पुना हिस्सा- 768/29866 जाति- मेघवाल सा..रायपुर खातेदार, 13. बिदामीदेवी पुत्री गुमना हिस्सा -4977/29866 जाति- मेघवाल सारायपुर खातेदार . 14. उद्रा पुत्र हेमा हिस्सा - 4977/29866 जाति मेघवाल सा -रायपुर खातेदार	2692	0.5423	बा.अ.

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। वादी एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 08.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत
धारा 53 "92' 'ए एवं 188 राज. टि.एक्ट
राजस्व वाद 10/2022

वादी
विजयराज पुत्र श्री हरनाथ, उम्र–वयस्क, जाति रेगर निवासी रायपुर तहसील– रायपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण
1 ओमप्रकाश पुत्र श्री पुना, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल,
2. गेरीदेवी पुत्री श्री गुमना, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल,
3. पानीदेवी पत्नि श्री पुना, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल,
4. बाबुलाल पुत्र श्री पुना, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल,
5. बिदामीदेवी पुत्री श्री गुमना, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल,
6. माणकचन्द पुत्र श्री रामपाल, उम्र–वयस्क, जाति बावरी,
7. रमेश पुत्र श्री पुना, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल
8. रमेश पुत्र श्री केसाराम, उम्र–वयस्क, जाति बावरी,
9. रामा पुत्र श्री हेमा, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल,
10. विमला पुत्र श्री पुना, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल,
11. संतोष पुत्री श्री पुना, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल,
12. हरीराम पुत्र श्री पुना, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल,
13. उदा पुत्र श्री हेमा, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल, निवासीगण–रायपुर तहसील रायपुर
14. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अधिवक्तागण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते है।

सरहद मौजा खींवल पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर का बंटवाड़ा प्रस्ताव

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म
1	विजयराज पुत्र हरनाथ हिस्सा 3777/29866 जाति रेगर सा. रायपुर खातेदार	2605	0.3777	बा.दो.
2	रेखा पत्नि दिलीपकुमार हिस्सा 755/29866 जाति रेगर सा. देह खातेदार	2605/1	0.0755	बा. दो.
3	1. ओमप्रकाश पुत्र पुना हिस्सा -768/29866 जाति - रायपुर खातेदार .मेघवाल मा 2. गेरीदेवी पुत्री गुमना हिस्सा 6489/29866 जाति मेघवाल सादेह खातेदार . 3. पानीदेवी पनि पुना हिस्सा -768/29866 जाति - मेघवाल सा .रायपुर खातेदार 4. बाबुलाल पुत्र पुना हिस्सा 768/29866 जाति - मेघवाल सारायपुर खातेदार . 5. माणकचंद पुत्र रामपाल हिस्सा -768/29866 जाति - बावरी सारायपुर खातेदार . 6. रमेश पुत्र केसाराम हिस्सा 768/28866 जाति - बावरी सारायपुर खातेदार .	2558 2559 2560 2587 2597/1 2692	0.47775 0.2914 0.6880 0.3237 0.6637 0.5423	बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.अ. बा.दो. बा.अ.

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

	7. रमेश पुत्र पुना हिस्सा 768/29866 जातिमेघवाल -. सारायपुर खातेदार . 8.रामा पुत्र हेमा हिस्सा 5733/29866 जातिमेघवाल - सारायपुर खातेदार . राहिन हिस्सा 5733/29866 (पूर्ण खातास्टेट बैंक ऑफ (बीकाने एंड जयंपुर. 9. विजयराज पुत्र हरनाथ हिस्सा -778/29866 जाति - .रेगर सा रायपुर खातेदार 10. विमला पुत्री पुना हिस्सा 768/29866 जाति - मेघवाल सा रायपुर खातेदार 11. संतोष पुत्री पुना हिस्सा 768/29866 जाति - मेघवाल सा रायपुर खातेदार 12हरीराम पुत्र पुना हिस्सा- 768/29866 जाति- मेघवाल सा..रायपुर खातेदार, 13. बिदामीदेवी पुत्री गुमना हिस्सा -4977/29866 जाति- मेघवाल सारायपुर खातेदार . 14. उदा पुत्र हेमा हिस्सा - 4977/29866 जाति मेघवाल सा -रायपुर खातेदार			

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

नीज........................ ....मुबलिक.............. ....बाबत............. .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.08.2023 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	02	00	स्टाम्प वकालतनामा –	00	00
स्टाम्प वकालतनामा –	02	00	स्टाम्प हाजरी –		
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमिश्नर –		
फीस कमिश्नर –			बाबत इजराय हुक्मनामा –		
बाबत इजराय. हुक्मनामा –			मुतफरिक –	00	00
मुतफरिक –	6	00	मीजान	00	00
मीजान	10	00			

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।